पाठ 27

जीवनसाथी : भावनात्मक बन्धन

विवाह सम्बन्धित जानकारी के लिए किशोर काफी उत्सुक होते हैं। उक्त विषयों की जानकारी भी किशोरों को देना उपयुक्त और उपादेय है।

जीवन के इस महत्त्वपूर्ण निर्णय में स्वयं की भूमिका के साथ परिवार व समाज की भी सकारात्मक भूमिका होती है। जीवन कुशलताएँ सही निर्णय लेने और जिम्मेदारी समझने में योगदान देती हैं।

आज हम जीवन के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ हमें अपने भविष्य के हर पहलू पर सोचना है। उम्र के इस मोड़ पर हम सभी यह महसूस करते हैं कि बेहतर भावी जीवन के लिए एक अच्छे जीवनसाथी की नितान्त आवश्यकता है जो विवाहोपरान्त प्राप्त होता है। विवाह का प्रसंग आते ही हमारे मन में अनेक विचार और कल्पनाएँ आने लगती हैं, हम अपने भावी जीवन का ताना–बाना बुनने लगते हैं। इन सपनों में हम अपने जीवन के उस पड़ाव की ओर चल देते हैं जो वास्तविकता में कुछ वर्षो पश्चात् हमारे जीवन में आने वाला है। अपने जीवनसाथी की भावनाओं को समझना तथा उसके विचारों को सम्मान देना सफल वैवाहिक जीवन का मुख्य आधार है।

युवक एवं युवतियों के पारस्परिक, पवित्र तथा सुखद मिलन की सामाजिक प्रथा विवाह है। इस सम्बन्ध में बँध कर हम अपने जीवन के सपने पूरे करने की आशा करते हैं। विवाह समाज की एक व्यवस्था है, जिसके बिना समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता और न ही हमारी सभ्यता और संस्कृति की कोई पहचान बन सकती है।

विवाह केवल शारीरिक सम्बन्ध का ही सूचक नहीं है बल्कि विवाह का आधार प्रेम, विश्वास, सहयोग, एक दूसरे के प्रति समझ, एवं भावनात्मक बन्धन होता है।

विवाह की उचित आयु

भारतीय संविधान द्वारा विवाह के लिए उचित आयु युवकों के लिए 21 वर्ष एवं युवतियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इस आयु से पूर्व युवक–युवती मानसिक व शारीरिक रूप से विवाह के पश्चात् आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिये सक्षम नहीं हो पाते हैं।

चित्र 27.1

उचित आयु में विवाह करने के लाभ

- युवक व युवती क्रमशः 21 व 18 वर्ष की आयु के बाद शारीरिक व मानसिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं।
- परिपक्व आयु होने के कारण विवाह के पश्चात् आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।
- अपने भावी जीवन की तैयारी हेतु विवाह से पूर्व अपनी शिक्षा पूर्ण करने का समय मिल जाता है।
- सही समय पर गर्भधारण करना, माँ व बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहता है। इससे मातृ–मृत्युदर व शिशु मृत्युदर में कमी आती है।
- परिपक्व आयु में विवाह होने से यह सामंजस्य बना रहता है और यही वैवाहिक जीवन का आधार है।
- इस आयु तक पहुँचते हुए प्रायः युवक–युवतियाँ आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रयासरत रहते हैं जो कि भावी जीवन की आधारशिला है।

जीवनसाथी

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है – जीवन भर साथ निभाने वाला व्यक्ति जीवनसाथी होता है। विवाह का सफल या असफल होना जीवनसाथी के साथ सामंजस्य पर निर्भर करता है। विवाह पश्चात् पति या पत्नी के रूप में यही जीवनसाथी सुख–दुःख में साथ देते हुए परिवार का निर्माण करते हैं और अपना सामान्य जीवन, सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं।

चित्र 27.2

जीवन साथी के चुनाव में ध्यान रखने योग्य बातें

सफल वैवाहिक जीवन के लिए उपयुक्त जीवनसाथी का चुनाव आवश्यक है। जीवनसाथी का चुनाव करते समय अपनी कल्पना को साकार रूप देने के लिए पूर्व व्यावहारिक पक्ष का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी विचार किया जा सकता है–

- जीवनसाथी के चुनाव में 'स्वयं की सहमति' होना आवश्यक है।
- इस सम्बन्ध में अपने परिजनों व मित्रों की भी सलाह लेनी चाहिए।
- जीवनसाथी के चुनाव के लिए परिजनों के साथ बैठकर एक स्वस्थ विचार–विमर्श द्वारा कोई निर्णय लेना चाहिए।
- एक दूसरे को जानने के लिए निर्णय लेने से पूर्व यदि आपसी संवाद द्वारा अपनी क्षमताओं, कमियों व अपने जीवन लक्ष्यों को भावी जीवनसाथी के समक्ष रखा जाए तो दोनों के जीवन में एकरूपता तथा सहअस्तित्व की भावना आएगी।

जीवनसाथी के चुनाव के बाद

हमने अपना जीवनसाथी का चयन कर लिया, परन्तु क्या यहीं पर हमारी भूमिका खत्म हो जाती है ? वास्तव में तो यह अब शुरू होती है। हमारे परिवार में भाई–बहन, माता–पिता, दादा–दादी व अन्य सदस्य भी होते हैं। उनके प्रति भी हमारे कुछ दायित्व हैं उनका सम्मान करना और उनका ख्याल रखना भी हमारा कर्तव्य है। अपने जीवनसाथी के साथ इन दायित्वों का निर्वाह करते हुए हम अपना वैवाहिक जीवन सफल बना सकते हैं।

भावी जीवनसाथी के चुनाव में समाज की भूमिका को भी नहीं नकारा जा सकता। आखिर व्यक्ति से परिवार एवं हमारे परिवारों से ही समाज का निर्माण होता है। भारतीय परिवेश में हमारे रिश्तेदार हमारे वैवाहिक सम्बन्धों के लिए एक कड़ी का कार्य करते हैं, जो समाज की भूमिका का प्रत्यक्ष उदाहरण है।

विवाह भावी जीवन का महत्त्वपूर्ण आधार है, जिसमें युवा वर्ग न केवल भविष्य के सपने, सहभागिता, विचारों का आदान प्रदान व दुःख–सुख बाँटने का प्रयास करते हैं, अपितु अपने परिवार की भावनाओं को समझ कर परिवार के साथ समाज को भी नए आयाम देने में अपनी अहम् भूमिका का निर्वाह करते हैं। अतः जीवन के इस सबसे महत्त्वपूर्ण निर्णय में स्वयं की भूमिका के साथ परिवार व समाज की भी सकारात्मक भूमिका होती है।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- विवाह केवल शारीरिक सम्बन्ध का ही सूचक नहीं है बल्कि विवाह का आधार प्रेम, विश्वास, सहयोग आदि है।
- विवाह के लिए उचित आयु युवकों के लिए 21 वर्ष और युवतियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है।
- जीवनसाथी का चयन करते समय स्वयं की सहमति के साथ–साथ परिजनों की राय भी लेनी चाहिए।

जानें, समझें, और करें

1. आपके मित्र का जिस लड़की से विवाह होने वाला है वह उसे पसन्द नहीं है। उसके माता–पिता ने यह रिश्ता तय किया है अतः आपका मित्र दुविधा में है चूँकि वह उनका आदर करता है। आप अपने मित्र को क्या सलाह देंगे ?

.....

.....

2. आपके मित्र का विवाह बचपन में ही कर दिया गया। अब वह अपनी पसन्द की लड़की से पुनः विवाह करना चाहता है और अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है। इस बारे में वह आप से सलाह लेता है। आप उसे क्या सलाह देंगे ?

.....

.....

3. अपनी बहन के लिए जीवन साथी का चयन करते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे ?

.....

.....

4. उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए –

- प्रतिमाह आप द्वारा कमाए गए धन का आप उपयोग करेंगे –
  - (अ) सम्पूर्ण धन अपनी माँ अथवा पिता को देंगे।
  - (ब) सम्पूर्ण धन केवल अपनी पत्नी को देंगे।
  - (स) सम्पूर्ण धन में से खर्च के लिए आवश्यकतानुसार माँ–पिता तथा पत्नी को देंगे।
  - (द) सम्पूर्ण धन से सभी की आवश्यकताओं का पता करके स्वयं ही खरीददारी करेंगे।
- मान लो आप 18 वर्षीय राकेश हैं और आपका विवाह 15 वर्ष की आयु में कर दिया गया था। आपके माता–पिता आपका गौना करना चाहते हैं । तब–
  - (अ) अपने माता–पिता को कहेंगे कि आत्मनिर्भर हो जाने पर ही गौना कराना ठीक है।
  - (ब) 18 वर्ष की आयु मे गौना कराना ठीक है।
  - (स) दो वर्ष और इन्तजार करेंगे।
  - (द) इस बारे में बात नहीं कर सकते अतः अध्यापक या किसी और को हस्तक्षेप करने के लिए कहेंगे।

विवाह गुड़ियों का खेल नहीं, यह प्रेम की वह अवस्था है जो हमारी मानसिक, शारीरिक व आध्यात्मिक इन्द्रियों का विकास करती है। जहाँ ये आवश्यकता पूरी न हो, यह मानना चाहिए कि वहाँ विवाह नहीं खेल होता है।" – स्वामी विवेकानन्द